

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राशमी जिला
चितौड़गढ़(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्प राशमी

--: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी राशमी
व भूअ.नि. राशमी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी /नायब
तहसीलदार राशमी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम नाबीम पुज देव तहसील राशमी व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् 2020 में खाता संख्या 53 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरानद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>नाबीम पुज देव</u>	<u>53</u>	<u>नाबीम पुज देव</u>	<u>नाबु पुज देव</u>

राशमी
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

क्रमांक:- 242
प्रतिनिधि :-

दिनांक :- 25/10/2024

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरानद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

राशमी
पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
राशमी

